पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

2016 का आपराधिक विविध सं.34376

थाना कांड संख्या-245 वर्ष-2012 थाना-शेरघाटी जिला-गया से उत्पन्न

==========

1. मो. हयात, पुत्र- स्वर्गीय पीर मोहम्मद मियां।

2. मो. मकसूद आलम, पुत्र- मोहम्मद हयात।

3. शाह जहां खातून, पत्नी-मोहम्मद हयात, सभी निवासी- गाँव-उपराड़ा, थाना-उपराड़ा, जिला-औरंगाबाद बिहार।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. अंजुम आरा, पुत्री- मोहम्मद मनौर हुसैन, निवासी- मोहल्ला-रमना, थाना-शेरघाटी, जिला-औरंगाबाद, बिहार।

..... विपरीत दल

==========

उपस्थितिः

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री सुरेंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता,

विरोधी पक्ष/दलों के अधिवक्ता : श्री नवीन कुमार पांडे, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - आदेश रद्द करने के लिए याचिका - धारा 498 ए - धारा 34 - भारतीय दंड संहिता, 1860:-*क्या अस्पष्ट और सामान्य आरोप परिवार के विस्तारित सदस्यों के खिलाफ धारा 498ए के तहत आरोप बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं?-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं।-किसी विशेष घटना या कथित कृत्य में सीधे शामिल होने की कोई ठोस जानकारी नहीं।-धारा 498ए के दुरुपयोग और न्याय प्रणाली पर इसके प्रभाव का उल्लेख।-(संदर्भित: **अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1083**)-अलग निवास और रोजमर्रा के मामलों में गैर-भागीदारी:-कथित क्रूरता में किसी विशेष भूमिका को नकारा गया।-ऐसे मामलों में जहां आरोप बेतुके, असंभव, या स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित हों, आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।-(आधारित: **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट (1) एससीसी 335**)-फैसला:-आरोप लेने का आदेश रद्द।-याचिका स्वीकार की गई।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः04-04-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना और राज्य के लिए विद्वान एपीपी को चुना।

2. इस आवेदन को 2012 के शेरघाटी थाना कांड संख्या 245/2012 के जी. आर. सं.1078 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गया द्वारा पारित दिनांक 21.01.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के साथ 34 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत संज्ञान लिया है, और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया।

3. अभियोजन पक्ष का मामला सूचक अंजुम आरा की शेरघाटी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई लिखित रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि उसकी शादी मोहम्मद के साथ हुई थी। खुर्शीद आलम ने 05.12.2004 पर मुस्लिम संस्कारों के अनुसार जिसमें उनके पिता ने गहने दिए थे कपड़े और घरेलू सामान के साथ 2 लाख 25 हजार नगद रुपया भी दिया था। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि शादी के अगले दिन 10:00 बजे सुबह, याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने दहेज के रूप में 3 लाख रुपये की मांग की और कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक रोकसादी नहीं की जायेगी, जिसके बाद शिकायतकर्ता के पिता ने 1 लाख रुपये दिए याचिकाकर्ता 1 मो. हयात को। उसने आगे आरोप लगाया कि वह 15 दिनों तक अपने *ससुराल* में रही और उसके बाद, उसकी सास ने उसे *तलाक* की धमकी देकर उसके सभी गहने छीन लिए।उसने आगे आरोप लगाया कि बाकी 2 लाख रुपये के लिए उसे नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। उसने आगे आरोप लगाया कि छह महीने के बाद, उसका पति उसे उसके *माइका* (माता-पिता का घर) में छोड़कर मुंबई चला गया। सामाजिक दबाव पर, सूचक का ससुर उसे मुम्बई ले गया और कभी-कभी, उसे फिर से मानसिक यातना दी गई और 2 लाख अपने पिता से लाने के लिए दबाव डाला गया। वह किसी तरह छह महीने तक मुंबई में रहीं और उसके बाद, उन्होंने मुंबई छोड़ दिया, जबकि वह सात महीने की गर्भवती थीं। उसने आगे आरोप लगाया कि उसके *देवर* (बहनोई) ने उसके बच्चे को मारने के लिए उसके पेट पर वार किया और खून बहने पर उसे उसके माइका के पास भेज दिया गया। वर्ष 2010 में सूचना देने वाले का पति अरब चला गया।दबाव में, उसके पति ने उसे 08.10.2011 को रियाद बुलाया, जहाँ उसके पति का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। सूचना देने वाले को नग्न रहने

और अपने दोस्तों को शराब परोसने के लिए मजबूर किया गया और मना करने पर उसे पीटा गया और बिजली का झटका दिया गया।उसने आगे आरोप लगाया कि 01.07.2012 को उसे दिल्ली भेज दिया गया और कई अनुरोधों के बाद भी उसे उसके *ससुराल* नहीं ले जाया गया।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत किया कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से, याचिकाकर्ता के खिलाफ इन कारणों से कोई *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनता है कि याचिकाकर्ता नहीं। 1 ससुर हैं, याचिकाकर्ता नं 2 बहनोई और याचिकाकर्ता नं 3 सास है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता अलग रह रहे हैं जिनका दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं है। विरोधी पक्ष संख्या 2 और उसका पति के साथ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनका निहितार्थ केवल संबंधों से और गलत और तिरछे उद्देश्य के साथ दिखाई देता है, जो परेशान करने वाले रवैये का सुझाव देता है। यह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और आई. पी. सी. की धारा 498-ए के प्रावधानों के दुरुपयोग का एक शास्त्रीय मामला है। तर्क को समाप्त करते समय, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी के अवलोकन से भी, याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आरोप बहुत सामान्य और सर्वव्यापी प्रतीत हो रहे हैं और इस प्रकार, यह कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

5. अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया जैसा कि अभिषेक के मामले में बताया गया था **अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में जिसे 2023 में एस. सी. सी. और लाईन एस.सी. 1083 में रिपोर्ट किया गया। ऑनलाइन एससी 1083।**

6. हालांकि, विरोधी पक्ष संख्या-2 की ओर से एक *वकालतनामा* दायर किया गया है। विधिवत नोटिस दिए जाने के बाद, लेकिन जब मामला बोर्ड पर लिया गया तो आवेदन का विरोध करने के लिए उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

7. विद्वान ए. पी. पी. ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने ससुराल वाले होने के कारण विरोधी पक्ष संख्या 2 के प्रति कथित मानसिक और शारीरिक क्रूरता के प्रति दहेज की मांग उठाकर सक्रिय भूमिका निभाई।

8. **अभिषेक केस (उपरोक्त)** के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 12 से 17 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः-

> "**12.** धारा 482 आ.दं.सं के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति की रूपरेखा अच्छी तरह से परिभाषित है। वी. रवि कुमार बनाम राज्य का अभिवेदन करते हुए पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सलेम, तमिलनाडु [(2019) 14 एस. सी. सी. 568] में, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि जहां कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग करता है, तो उच्च न्यायालय के लिए शिकायत में आरोपों की शुद्धता का निर्णय लेने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) में। लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [2021 की आपराधिक अपील संख्या 330, पर 13.04.2021 को निर्णय लिया गया], इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 482 आ.दं.सं के तहत शक्ति के दायरे और विस्तार पर विस्तार से विचार किया। यह देखा गया कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और

दुर्लभतम मामलों में, इस तरह के मानक को मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किए गए मानदंड के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।यह भी कहा गया कि एफ. आई. आर./शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की गई है, न्यायालय उसमें लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन यदि न्यायालय उचित समझता है, तो रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम को ध्यान में रखते हुए, और विशेष रूप से, आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866) और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [(1992) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335] में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को देखते हुए, न्यायालय को एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

13. पति के परिवार के सदस्यों द्वारा वैवाहिक विवादों के बीच उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के उदाहरण न तो दुर्लभ हैं और न ही हाल ही में उत्पन्न हुए हैं। इस बिंदु पर बहुत सारी पूर्वसूचनाएँ हैं। अब हम विशेष प्रासंगिकता वाले कुछ निर्णयों के पर ध्यान दे सकते हैं। हाल ही में, कहकशान कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य [(2022) 6 एस. सी. सी. 599] मामले में, इस अदालत को ऐसी ही स्थिति से निपटने का अवसर मिला था, जहां उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 498ए सहित विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह देखते हुए कि सबसे प्रमुख मुद्दा जिसके निर्धारण की आवश्यकता थी वह यह था

कि क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य सर्वव्यापी आरोप थे जिन्हें रद्द किया जा सकता है, इस अदालत ने पहले के फैसलों का उल्लेख किया जिसमें आईपीसी की धारा 498 ए के दुरुपयोग और पति के रिश्तेदारों को वैवाहिक विवादों में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक विवादों के दौरान लगाए गए सामान्य सर्वव्यापी आरोपों के माध्यम से गलत निहितार्थ, यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया कि पत्नी द्वारा ससुराल वालों के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए थे और यह माना गया था कि ससुराल वालों के खिलाफ स्पष्ट आरोपों के अभाव में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह भी नोट किया गया कि एक आपराधिक मुकदमा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बरी हो जाता है, अभियुक्त पर गंभीर दाग लगाएगा और इस तरह की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य [(2010) 7 एस. सी. सी. 667] में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दायर शिकायतों में पति और उसके सभी निकट संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। यह देखा गया कि अदालतों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पति के करीबी रिश्तेदारों द्वारा

उत्पीड़न के आरोप, जो विभिन्न शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस स्थान पर नहीं गए थे या शायद ही कभी गए थे जहां शिकायतकर्ता रहता था, एक पूरी तरह से अलग रंग जोड़ देगा और ऐसे आरोपों की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी।

15. इससे पहले, नीलू चोपड़ा बनाम भारती [(2009) 10 एस. सी. सी. 184] मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए केवल वैधानिक प्रावधानों और उनकी भाषा का उल्लेख करना मामले का 'सब कुछ और अंत' नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध और उस अपराध को करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण न्यायालय के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है। ये टिप्पणियां आई.पी.सी की धारा 498 ए से जुड़े वैवाहिक विवाद के संदर्भ में की गई थीं।

16. महमूद अली बनाम यू. पी. राज्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय हाल ही में आया है। (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2341 पर 08.08.2023 को निर्णय लिया गया)आ.दं.सं की धारा 482 के तहत लागू कानूनी सिद्धांतों पर। इसमें यह देखा गया कि जब कोई आरोपी उच्च न्यायालय के समक्ष आता है, तो या तो धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए, प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी

परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का प्राथमिक प्रतिवेदन रिपोर्ट को सावधानी से और थोड़ा और अधिक बारीकी से देखने का कर्तव्य है।यह भी कहा गया कि न्यायालय के लिए केवल प्राथमिकी/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, क्योंकि तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उत्पन्न होने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ, पंक्तियों के बीच पढ़ने की कोशिश करें।

17. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, [1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335] में, इस न्यायालय ने चित्रण के माध्यम से, उन मामलों की व्यापक श्रेणियों को निर्धारित किया था जिनमें धारा 482 आ.दं.सं के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।निर्णय का पैरा 102 इस प्रकार हैः

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा

न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और लचीले दिशानिर्देशों को निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है। कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचनादाता रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहाँ एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी

जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।.

9. याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त कानूनी और तथ्यात्मक तथ्यों के मद्देनजर ससुराल वालों ने दर्ज किया है कि उनका ओ.पी. संख्या 2 के साथ दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं था, जहां क्रूरता का आरोप भी प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ बहुत समान्य और सर्वव्यापी प्रतीत होता है। तदनुसार, उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और **अभिषेक मामले (उपरोक्त)** को ध्यान में रखते हुए, 2012 के शेरघाटी थाना कांड संख्या 245,2012/जी.आर संख्या 1078 मामले के संबंध में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गया द्वारा पारित दिनांक 21.01.2016 का संज्ञान

आदेश, इसके सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ, उपरोक्त सभी याचिकाकर्ताओं के संदर्भ मे रद्द और दरकिनार कर दिया जाता है।

10. इस आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

11. निर्णय की एक प्रति विद्वत विचारण न्यायालय को तुरंत प्रेषित की जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।